[Shri Narayan Kar]

starvation including 126 from Lanjigarh block alone. In adjoining Koraput, already 42 people have died from starvation. Unless emergency relief measures are undertaken, there are serious risks of famine and starvation deaths engulfing a larger territory and taking a heavier toll in terms of human lives.

There is utter callousness and lack of concern shown by the Government at the Centre and in the States, to these tragic developments which are deeply affecting the life of the economically and socially disadvantaged people of these areas. Despite a large buffer stock of more than 24 million tonnes in their possession, the Central Government, for reasons best known to themselves, have taken little initiative to release a part of the food for drought relief operations and thereby to save the starving women, children, old and adult men from certain death. As for the State Government which is known all over the country for its corrupt practices, it has failed to take prompt measures following reports in the Press regarding starvation deaths and sale of babies from this area as early as in the summer of 1965. The starvation deaths have been dismissed by this inhuman Government as being due to eating roots which were unfit for human consumption, without stopping to ask what had driven them to a state where they ate what the other humans would not. The stories regarding the sale of babies by parents under severe stress have been described by the Chief Minister as being a part of the folk tradition of the State. There has been deliberate concealment of the fact that labour is being offered at Rs. 3/- per day, while the officially accepted figure is higher, at Rs. 6/-.

Sir, these are tribal-dominated areas and for the last three years, there is drought. The Prime Minister visited the place and declared so many packages, but after his return, nothing has been done so far. I, therefore, demand immediate arrangements for relief, particularly free distribuion of food, generation of work through various public work activities and other types of support without any more excuse or delay. I also demand that NREP and RLEGP, schemes should be take up to prevent people leaving their native places in search of jobs. Arrangements should be made for supply of drinking water. Land reforms should be immediately affected in this area.

REFERENCE TO THE DEMANS FOR SPECIAL ASSISTANCE TO DEVELOP HILLY AREAS IN MADHYA PRADESH

कुमारी सईदा खातून (मध्य प्रदेश) : माननीय सभापति महोदय, मैं उस स्पेशल मेंशन के माध्यम से मध्य प्रदेश में पहाड़ी इलाकों को पहाड़ी क्षेत्र घोषित किये जाने के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। देश के कुछ क्षेत्रों को, जहां पहाड़ हैं तथा जिनके विकास की विशेष समस्यायें हैं, पहाड़ी क्षेत्र घोषित किया गया है। इन पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिये विशेष रूप से केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश में ऐसे किसी भी क्षेत्र को पहाड़ी क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है, यद्यपि इस राज्य में ऐसे कई इलाके हैं और उनके विकास की विशेष समस्यायें हैं। इस संबंध में शासन ने योजना आयोग से भी पहल की है। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि मध्य प्रदेश के पहाड़ी इलाकों को भी पहाड़ी क्षेत्र घोषित किया जाये ताकि उनका विकास हो सके। महोदय, स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात से ही राष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पाचवीं पंचवर्षीय योजना 1974-79 बनाने के दौरान यह महसूस किया गया कि पहाड़ी क्षेत्रों में विशाल पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण गंभीर पर्यावरणीय समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं। भू-स्खलन, बाढ़, भू-रक्षण इत्यादि

की समस्यायें बढ़ती जा रही हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन पहले ही दुष्कर था अब इन परिवर्तनों के कारण और भी कठिन हो गया है। यहां के निवासियों के लिये अनाज, चारे, पानी तथा ईंधन की समस्यायें हैं। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 170 करोड़ रुपये का केन्द्रीय प्रावधान किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में यह प्रावधान बढ़ाकर 560 करोड़ रुपये कर दिया गया। इन कार्यक्रमों को बनाने तथा क्रियान्वित करने के लिये कई विशेषज्ञ दलों का गठन किया गया। यह कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु तथा पश्चिमी घाट, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा गोआ के क्षेत्रों में क्रियान्वित किया गया।

महोदय, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान दो मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया—(1) सभी विकास कार्यक्रमों में पर्यावरणीय सुधार के उपायों को शामिल किया जाये तथा (2) पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों के जीवन-यापन में सुधार किया जाये। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये जिन कार्यक्रमों को लागू किया गया उनमें मुख्य थे, भूमि संरक्षण कार्यक्रम, जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम नवीनीकरण, चारागाह विकास, कृषि के क्षेत्र में उन्नत किस्म की तकनीक अपनाना तथा ढलान वाले क्षेत्रों को विशेष रूप से भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाना।

महोदय, सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रावधान तय करने के लिये इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि पांचवीं तथा छठी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान क्रियान्वित कार्यक्रम की समीक्षा की जाये। इस हेतु योजना आयोग द्वारा एक कार्यकारी दल का गठन किया गया। कार्यकारी दल की प्रथम बैठक दिनांक 28 जनवरी, 1984 को संपन्न हुई जिसमें विभिन्न उप-दल बनाये गये। इन को जो कार्य दिया गया था उसमें पहाड़ी क्षेत्रों की पहचान करना तथा इनके विकास के लिये उपयुक्त तकनीक सुझाना था। पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए गठित राष्ट्रीय दल, शिवरामन कमेटी द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों को अंकित करने के विषय में दिये गये निम्नलिखित तीन मुख्य मापदंडों की ओर तकनीकी दल द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया। (क) संयुक्त भौगोलिक पहाड़ी क्षेत्र, (ख) पहाड़ी क्षेत्र की ऊंचाई और (ग) पर्यावरणीय दृष्टि से कमजोर क्षेत्र। दक्षिण पठार के संदर्भ में पहाड़ी क्षेत्रों को अंकित करने के लिये समुद्रतल से 600 मीटर अथवा उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को शामिल करने की सिफारिश की गई थी। इस परिभाषा से ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे सभी क्षेत्रों को जिनकी ऊंचाई 600 मीटर अथवा अधिक हो, पहाड़ी क्षेत्रों में शामिल कर लिया जाये। तकनीकी दल की दृष्टि से यह परिभाषा अपूर्ण थी। इस दल का सुझाव है कि पहाड़ी क्षेत्रों का पता लगाने के लिये सबसे मुख्य मुद्दा ढलान में परिवर्तन की दर है न कि ऊंचाई। अतः किसी भी पहाड़ी क्षेत्र के लिये औसत ढलान का परिमापन आवश्यक है। तकनीकी समिति का इस परिप्रेक्ष्य में यह अभिमत है कि औसत 30 प्रतिशत अथवा इससे अधिक ढलान वाले क्षेत्र को पहाड़ी क्षेत्र माना जाये। समिति द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के लिये लागू किये जाने वाले कार्यक्रमों के लिये सबसे छोटी प्रशासकीय इकाई विकासखंड अथवा तालुका रखी जाये। जिन विकास खंडों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक क्षेत्र का ढलान 30 प्रतिशत या उससे अधिक है तो सम्पूर्ण विकास खंड को पहाड़ी क्षेत्र में शामिल किया जावे। तकनीकी समिति के विचार में कुछ पहाड़ी क्षेत्र ऐसे भी हो सकते हैं जो कि प्रशासकीय दृष्टि से एक से अधिक विकास खंडों में विभक्त हो तथा उपरोक्त परिभाषा में समाहित न हो सके। अतः ऐसे प्रकरणों में 100 वर्ग किलोमीटर अथवा इससे अधिक के एक ही संयुक्त भौगोलिक पह

[कुमारी सईदा खातून]

क्षेत्र को जिसका औसत ढलान 30 प्रतिशत से अधिक हो पहाड़ी क्षेत्र माना जाये। योजना आयोग द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 1985 को उपरोक्त प्रतिवेदन मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को टिप्पणी हेतु भेजा गया। इस प्रतिवेदन का अध्ययन राज्य योजना मंडल द्वारा किया गया। अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि राज्य में विन्ध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रंखलाओं के होते हुए भी मध्य प्रदेश का कोई भी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। अत: पहले राज्य के कुछ क्षेत्रों की टीपी शीट्स का अध्ययन यह पता लगाने के लिए किया गया कि इस राज्य का कोई क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र की परिभाषा के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा सकता है अथवा नहीं। प्रथमदृष्ट्या यह पाया गया कि कम से कम सात जिलों में लगभग 17 क्षेत्रों का समावेश पहाड़ी क्षेत्र की परिभाषा में किया जा सकता है। अत: राज्य के मुख्य मन्त्री जी ने योजना आयोग, भारत शासन के उपाध्यक्ष को पत्र लिख कर राज्य का पक्ष प्रस्तुत किया तथा केन्द्रीय सहायता में से राज्य का अंश दिये जाने हेतु निवेदन किया। ये जिले बस्तर, सरगुजा, मंडला- शहडोल, होशंगाबाद-छिंदवाड़ा, बेतूल, खरगोन, झाबुआ है।

अंत में मैं आप से यह कहना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व कम एवं क्षेत्र असमतल होने के कारण विकास की प्रति इकाई व्यय अधिक होता है और इस कारण अन्य राज्यों की अपेक्षा उतनी ही धनराशि में मध्य प्रदेश में समान विकास संभव नहीं हो पाता। पहाड़ी क्षेत्रों की पहचान एवं अभिज्ञान हो जाने से यह तथ्य और अधिक बलपूर्वक प्रस्तुत किया जा सकता है क्योंकि राज्य के 45 जिलों में से 30 जिलों में यह समस्या विद्यमान है। अत: मेरा यह निवेदन है कि मध्य प्रदेश को पहाड़ी क्षेत्र घोषित किया जाए।

REFERENCE TO THE CIRCULATION OF FAKE ONE RUPEE CURRENCY NOTES IN ANDHRA PRADESH

SHRI N. K. P. SALVE (Maharashtra): Sir, I rise to raise a question which I consider is not only of urgent public importance but is one which warrants immediate attention and remedial action by the Finance Ministry.

Sir, yesterday, the Chief Editor of one of the weeklies showed us a one rupee currency note on which was superimposed the figure or image of Shri N. T. Rama Rao and below that was written "Telugu Desam". Sir, I was indeed very happy to read in the newspapers this morning that in the Lok Sabha this question was raised and the leader of the Telugu Desam Party strongly refuted this and said that his party had nothing to do with it, that Mr. N. T. Rama Rao had nothing to do with it. Sir, no responsible party would indulge in this sort of act, I have no doubt about it in my mind. But whoever is guilty of this sort of insane act of disfiguring a genuine note should not go unpunished. In fact, I examined this note *inter alia* with the help of Mr. L. K. Jha who happened to be the Governor of Reserve Bank of India and we found that the note was a genuine one rupee note and it was disfigured by putting this sort of a photograph. It amounts to soiling and disfiguring a note and in fact it is a very profane act; it is a sacrilege against a very sacred institution of any country with its own currency. It is very obscene and a very flagrant outrage against a sacred institution.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA (Andhra Pradesh): Does it apply to autographs also or comments on notes?

MR. CHAIRMAN: Every body.

SHRI N. K. P. SALVE: Anything done wilfully and deliberately to disfigure a currency of a country...